श्रीमति विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER: He is opposing it constitutionally. Please complete your submission.

श्री जगपाल सिंह: मैं इस का इसलिए विरोध कर रहा हूं कि हमारे आर्थिक अपराधों की दृष्टि से अभी तक का एक्ट बिल्कुल इन-कम्पीटेंट साबित हुआ है। इस में लिमिटेशन्स को खत्म कर ने जा रहे हैं, लेकिन इसके प्रोविजन से आप आर्थिक अपराधों को रोक नहीं पायेंगे, ऐसी मुझे शंका है क्योंकि इस के अन्दर कोई प्राविजन ऐसा नहीं है। कोई मशीनरी किस तरीके से इस का ट्रायल करेगी ऐसा कोई प्राविजन इस में नहीं है। मैं इस दृष्टि से भी इस का अपोज कर रहा हूं क्योंकि आर्थिक अपराधों के पीछे हमारा कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। मैं कांस्टीट्यूशनली डिमांड करता हूं कि आप इस पर ज्यादा सख्त प्राविजन लायें ताकि हमारे देश में लोगों का, चाहे पीजेन्टरी आफ वर्किंग क्लास हो, उन का एक्सप्लायटेशन रुके। मेरे विचार से इस अमेंडमेंट से आप आर्थिक अपराधों को नहीं रोक पायेंगे और आप की सारी मेंटेलिटी कैपिटलिस्टिक है, इस लिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री चरणजीत चानना:

Sir, both the hon. Members who have raised the points have infact were contradicting themselves. First of all Mr. Kashyap said:—

यह सराहनीय काम है और जगपाल सिंह ने कहा है कि मैं समर्थन करता हूं। जो जैनुविन बात थी, वह इन के दिल से निकल गई लेकिन बाद में उन्हों ने सोचा कि कहां बैठे हैं इसलिये हम को और बात बोलनी चाहिये।

मैं यही सजैस्ट करूंगा कि अगर आप इस बिल के ऑबजैक्ट्स एंड रीजन्स का स्टेटमेंट पढ़ें तो उस में वही बात है, जो आप कह रहे हैं। अगर सारा एक्ट पढ़ें तो इसमें रूल्स लिखे हैं, प्राविजन लिखे हुए हैं, सारी बातें जो आप कह रहे हैं, इस में हैं। केवल इसलिये कि इकनामिक आफेन्सेज जो हैं, आई (डी० आर०) एक्ट में वह अन-पनिश्ड न होजायें, इसलिये यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, अगर इस को आप पढ़ लें तो आप अपनी बात विड्रा कर लेंगे, मैं इस के बारे में श्योर हूं। इसलिये आप मुझे इस बिल को इन्ट्रोडयूस करने की इजाजत देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974."

The motion was adopted.

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sir, I introduce the Bill.

14.50 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) War exercises by Pakistan forces on Rajasthan Border.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर में जो पाकिस्तान का लगा हुआ सिंध क्षेत्र है, वहां पाकिस्तानी सेना युद्ध-अभ्यास में लगी हुई है। यहां से कुछ दूर नया छोड़ तथा चीलस्तां के पास वह परमाणु विस्फोट करना चाहते थे, पर अब ऐसा विदित हो रहा है कि शायद वहां खुदाई के पश्चात् तेल मिलने की सम्भावना है। अतः वह परमाणु विस्फोट इस क्षेत्र में न कर के जैसे मे से सटे सिंध के रेगिस्तान में करना चाहता है।

पाकिस्तान हर मूल्य पर टैंक, बमवर्षक हवाई जहाज, हैलीकोप्टर, रडार, तोपें, मिसाइल आदि प्राप्त करने में लगा हुआ है।

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

पिछले दिनों राजस्थान के गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में कई पाकिस्तानी नागरिकों तथा तस्करों को पकड़ा गया।

अतः मान्यवर, रक्षा मंत्रालय का ध्यान में इन गतिविधियों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान इसी हिस्से से आगे बढ़ता है। अतः इन गतिविधियों की ओर ध्यान दिया जाए।

(ii) REPORTED STATEMENT OF DELHI POLICE COMMISSIONER AGAINST THE FINDINGS OF A COMMISSION RE. BAGHPAT INCIDENT.

श्री मनोराम बागड़ी : (हिसार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी डैमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी है।

MR. DEPUTY SPEAKER: You are very embodiment of democracy itself!

श्री मनोराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बागपत कांड के जांच आयोग की रपट को सार्वजनिक रूप से भर्त्सना और नारी जगत का अपमान किया है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि तीन व्यक्तियों को, जो पूर्णतया निर्दोष थे, पुलिस ने अकारण मारा। वे डकैत नहीं थे। माया त्यागी एक सुशील महिला थी। उस के गुप्त अंग में 6—7 टांके लगे हैं। उस से डकैतों का कोई रिश्ता नहीं था। श्री विनोद मुजफ्फर नगर में पुलिस कांस्टेबिल थे, इनके बड़े भाई की हत्या बागपत थाने की पुलिस ने की और इन की भाभी को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया। यदि विनोद त्यागी के मस्तिष्क पर अपने भाई की हत्या और भाभी की सार्वजनिक बेइज्जती की कोई प्रतिक्रिया हुई हो और उस ने बदले की भावना से कोई काम किया हो, तो सम्पूर्ण त्यागी समाज को कहना कि त्यागी गैंग है" पूर्णतया असंवैधानिक है और एक जाति विशेष को कलंकित करना है। गृह मंत्री को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुला कर उनकी भर्त्सना करनी चाहिए और उन को बर्खास्त कर देना चाहिए।

(iii) NEED TO ACCORD PRIORITY IN ALLOTMENT OF RAILWAY WAGONS FOR TRANSPORTATION OF FOODGRAINS BY KERALA STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION.

SHRI A. K. BALAN (Ottapalam): Even though the public distribution system in Kerala is well organised, there is shortage of supply of ration articles due to non-availability of stock. For the distribution of foodgrains at the present rate, the requirement of rice and wheat is 1.94 lakh tonnes and 10,000 M.T. respectively. Against this, the allotment sanctioned is only 1.35 lakh tonnes of rice and 4,000 M.T. of wheat and only 80,000 tonnes were actually being received.

In order to ensure regular availability of foodgrains during the lean months of the monsoon season it is necessary that sufficient buffer stock is built up. But the efforts made by the State Government and FCI in this regard are yet to give results. The FCI is finding it difficult to move the 1.35 lakh tonnes of rice allotted to the State in a month and the stock position in most FCI godown is very meagre. Delayed arrival and release of stock lead to public complaints and also give private dealers opportunity to exploit the situation to their advantage.

Kerala State Civil Supplies Corporation has a major role in maintaining the supply of foodgrains and other articles, but due to non-availability of sufficient wagons the Corporation is facing the problem of transporting the foodgrains procured from the neighbouring States. At present the priority in allotment of wagons is given only for lifting foodgrains for FCI. It is necessary that this priority is extended to the K.S.C.S.C. also so that the activities of the Cor-